

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश

संख्या: सी-263 /ई-1,

लखनऊ: दिनांक: 11 अगस्त, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

शासनादेश संख्या-84/2015/4572/सत्ताईस-1-2015-1/14, दिनांक-22.12.2015 एवं शासनादेश संख्या-3636/सत्ताईस-1-2017-01/14, दिनांक-24.11.2017 में निहित प्राविधानानुसार श्री प्रमोद कुमार, अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड-प्रथम, मेरठ को अपने वर्तमान कार्यभार के अतिरिक्त द्वैत कार्यभार में उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूडकी का कार्यभार नितान्त कामचलाऊ व्यवस्थान्तर्गत अग्रिम आदेशों तक सम्पादित किये जाने के आदेश एतद्वारा निर्गत किये जाते हैं।

इस निमित्त श्री प्रमोद कुमार, अधिशासी अभियन्ता को अतिरिक्त कार्यभार हेतु कोई अतिरिक्त वेतन, भत्ते आदि देय नहीं होंगे।

अनिल कुमार
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

संख्या: सी-263 /ई-1/तदिनांक 11/08/23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शासनादेश संख्या-84/22015/4572/सत्ताईस-1-2015-1/14, दिनांक-22.12.2015 एवं शासनादेश संख्या-3636/सत्ताईस-1-2017-01/14, दिनांक-24.11.2017 के अन्तर्गत उक्त किये गये आदेश का औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें।
2. प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन/परियोजना) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (पश्चिम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, मेरठ।
4. मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0 प्र0, मेरठ।
5. सम्बन्धित अधिकारी।
6. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (जांच), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता, (कम्प्यूटर केन्द्र), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. प्रशासनिक अधिकारी (ई-1)/प्रशासनिक अधिकारी (ई-3), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ।
9. वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सिंचाई विभाग, का. अधी-1



SPC

8/11/23


(रमेश चन्द्र)

मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-1/3)